उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1926 /VII-1/18/02(74)/2018
देहरादून :दिनांक: 12 सितम्बर 2018

आशय पत्र (Letter of Intent)

अधिसूचना संख्या–1582/VII-1/2017/31ख/17, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानान्तर्गत जनपद उधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली कैलाश नदी, क्षेत्रफल 6.00 है0 क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रकाशित आमंत्रण प्रपत्र सं0–007_USN_Ukroli_Kalish Nadi_6.00 ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के क्रम में उक्त नियमावली, 2017 के नियम 27.ग (द्वितीय चरण) के उपनियम 5 के प्रावधानानुसार श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, ग्राम खुपीताल, खुरपंखा, जनपद नैनीताल को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली रू0 1,31,04000.00 (रू0 एक करोड़ इकत्तीस लाख चार हजार मात्र) के आधार पर H1 घोषित किया गया है।

2. श्री जितेन्द्र सिंह को उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम–1 के प्रावधानानुसार बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रू0 1,31,04000.00 (रू0 एक करोड़ इकत्तीस लाख चार हजार मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 13,10,400.00 (रू0 तेरह लाख दस हजार चार सौ मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किये जाने, विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून में जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित माना गया है। उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम–3 के प्रावधानानुसार श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 13,10,400.00 (रू0 तेरह लाख दस हजार चार सौ मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, ग्राम खुपीताल, खुरपंखा, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद उधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली कैलाश नदी, क्षेत्रफल 6.00 है0 क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :–

(1) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम–17 के प्रावधानानुसार सीमाबन्धन कराये जाने, खनन योजना अनुमोदित कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।

(2) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि रू0 32,76,000.00 (रू0 बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) "धरोहर धनराशि (Security Money)" समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री–बिड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वैबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेत्तर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 29(क)(1) के अनुसार उपखनिज चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून

Ravindra Parmar
RAVINDRA PARMAR
(Geologist)
Mining & Environmental Laws Specialist
(National Law University Delhi)
RQP Reg. No. [illegible]

प्रोस्पेक्टव पट्टाधारक का खनन योजना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर व खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।

आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि के संबंध में सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टिंग पट्टाधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।

) पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

) राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में, तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार, दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

0) उत्तराखण्ड शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

1) सफल बोलीदाता/प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

2) राज्य में अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिये जाते है, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 है0 पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिकमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है0 से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।

उत्तराखण्ड सरकार

RAVINDRA PARMAR
(Geologist)
Mining & Environmental Laws Specialist
(National Law University Delhi)
RQP Reg. No. RQP/DDN/0?/2017

(13) खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

(14) (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ख) पचास हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के ऑन लाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा, किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेत्तर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई–नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रेत्तर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

(15) आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन किये जाने के उपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश ऑन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।

(16) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।

(17) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागीय अधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(18) पट्टे की अवधि की सगणना [illegible] निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।

उत्तराखण्ड सरकार

RAVINDRA PARMAR
(Geologist)
Mining & Environmental Laws Specialist
(National Law University Delhi)
RQP Reg. No. RQP/DDN/06/2017

(19) ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उपखनिज की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।

(20) खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु सं0 18 के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।

(21) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमाकंन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही–सीमाकंन शुल्क नियम–17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज–05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2X2 फिट की चौड़ाई जी0पी0एस0 रिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।

(22) पट्टा विलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन संकियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संकियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(23) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रूकी हो, उससे अग्रेत्तर कार्यवाही के संबंध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
अपर सचिव

संख्या: 1926 (1)/VII-1/18/02(74)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०–1072/ई०–निवि०सहई–नीला०/भू०खनि०ई०/उ0सि0नगर/2018–19, दिनांक 06 अगस्त, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
3. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आन सिंह, ग्राम खुपीताल, खुरपंखा, जनपद नैनीताल ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून

Ravindra Parmar
RAVINDRA PARMAR
(Geologist)
Mining & Environmental Laws Specialist
(National Law University Delhi)
RQP Reg. No. RQP/DDN/082/2017